न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

विविध वाद संख्या—08/2014—15

रीता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित 3.
	आदेश	
26-07-2016	प्रस्तुत विविध वाद मूलतः C.W.J.C No.-21684/2013 रीता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित दिनांक 19.09.2014 को पारित आदेश से उदभूत है। संदर्भित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है :— "The District Magistrate Khagaria to consider the representation of petitioner and dispose it of in accordance with law as early as possible." प्रक्रियात्मक रूप से आवेदिका के दिनांक 11.04.2013 के आवेदन जिसके साथ माननीय उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश की प्रति, Member, District Teacher's Appointment Appellate Authority, Khagaria द्वारा वाद संख्या—33—01/2012 में दिनांक 28.01.2013 को पारित आदेश की प्रति तथा तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज—चौथम को संबोधित दिनांक 11.04.2013 के हस्ताक्षरित आदेश की छायाप्रति के आलोक में वर्त्तमान वाद अंगीकृत करते हुए सुनवाई की गयी है। सुनवाई के क्रम में आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2008 में आवेदिका ने ग्राम पंचायत राज—चौथम में पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन दिया था, परन्तु इनसे कम अंक प्राप्त विभा कुमारी पति—महेश कुमार राय का नियोजन कर लिया गया। आवेदिका ने जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार में वाद संख्या—33—01/2012 दायर किया, जिसमें 28.01.2013 को ग्राम पंचायत राज, चौथम के द्वारा वर्ष 2008 के शिक्षक नियोजन को पत्रांक—02, दिनांक 28.01.2013 से अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया गया, परन्तु आवेदिका के नियोजन के बिन्दु पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। तत्पश्चात आवेदिका द्वारा उक्त नियोजन इकाई में अपने नियोजन हेतु आवेदन दिया गया, परन्तु उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अन्ततः आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-21684/2013 रीता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। याचिका में पारित आदेश के आलोक में न्यायालय से आदेश की अपेक्षा है। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य समर्पित करते हुए बताया गया कि वस्तुतः आवेदिका को नियुक्ति हेतु आहूत काउसिलिग में भाग लेने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया था, फलस्वरूप उनसे कम अंक वाले काउसिलिग में उपस्थित हुए, जिनकी नियुक्ति कर ली गयी। कालांतर में District Teacher's Appointment Appellate Authority, Khagaria के समक्ष उनके द्वारा लाये गये वाद में सुनवाई के पश्चात सभी नियुक्त शिक्षकों/शिक्षिकाओं का नियोजन रद्द कर दिया गया है। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गयी कि The	

Received 20/10/2016

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	removal of any person doesn't amount to appointment of any other person. विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गयी कि Appellate Authority का Order ना तो सही कहा जायेगा या गलत। authorithy का Order यदि गलत है, तो उसके Refer नहीं कर सकते एवं यदि गलत है तो उस आधार पर अपना दावा पेश नहीं कर सकते है। बहाली की प्रक्रिया में काउंसिलिंग होना था एवं हुआ था, काउंसिलिंग में आवेदिका उपस्थित नहीं हुई थी, नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग में उपस्थित होना आवश्यक था। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि जिला दण्डाधिकारी के क्षेत्राधीन सम्प्रति Appointment Order Pass करने का कोई Provision नहीं है। अगर Seat Vacant है, तो शिक्षा विभाग के निदेश पर सक्षम ईकाई द्वारा नियोजन का कार्य किया जा सकता है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं तर्क के आलोक में स्पष्ट है कि ततसमय प्रश्नगत नियोजन ईकाई द्वारा कृत अनियमितताओं के दृष्टिगत District Teacher's Appointment Appellate Authority, Khagaria द्वारा नियोजन प्रक्रिया को अवैध ठहराया जा चुका है, परन्तु नियोजन के संबंध में आदेश पारित करना/नहीं करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस स्थिति में वर्त्तमान वाद को Lack of Jurisdiction के आधार पर खारिज किया जाता है। आवेदिका अपने नियोजन हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकार में निवेदन/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश की प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करा दी जाय। लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया 26/7/16 जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया 26/7/16 डी0बी0 87 /विधि, दिनांक 18.10.2016 प्रतिलिपिः—जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चौथम को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। 18/10/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया।	